न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 185 / 2024

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
सरपंच ग्राम पंचायत पायला कलां पंचायत समिति पायला कला		1. प्रधानाध्यापक रा.उ.मा.वि. पायला कला 2. ब्लॉक प्रा.शिक्षा अधिकारी पायला कला 3. खनि. अभियन्ता भू वैज्ञानिक विभाग बाड़मेर 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत पायलाकला
2. प्रधानाध्यापक, रा.उ.मा.वि. पायला कला

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:22 IST
Reason: SelfAttested

02.05.2025

संक्षेप में आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की [illegible] भूमि खसरा संख्या 580 / 6 रकबा 4.09 बीघा किस्म गै.मु. आबादी ग्राम पायला कलां तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खसरा मूल खसरा संख्या 580 किस्म बिलाकब्जा गै.मु. से विभक्त होकर सर्जित हुआ है। उक्त मूल खसरा संख्या 580 में से 580 / 1 रकबा 5.08 बीघा तथा खसरा संख्या 580 / 4

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रकबा 7.00 बीघा कुल 12.08 बीघा भूमि स्कूल व भवन रा.उ.मा.वि पायला कलां की खातेदारी में दर्ज हुई। इसी तरह शेष खसरा संख्या 580 रकबा 21.12 बीघा भूमि संभावित खनिज क्षेत्र हेतु आरक्षित रखी गई हैं। उक्त चारों खसरे एक दूसरे से लगे हुए है। यद्यपि उक्त चारों खसरों का धारित कुल रकबा राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे के अनुसार सही है, तथापि इनकी कब्जा स्थिति एवं तरमीम स्थिति में भिन्नता है, जिससे एक खसरे में शामिल भूमि दूसरे खसरे की तरमीम में आ रही है और जिसमें पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहने की आशंका बनी रहती है। वास्तव में मूल खसरा संख्या 580 से विभक्त होकर बने खसरों की तरमीम संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट–"अ" अनुसार है, जबकि कब्जा स्थिति परिशिष्ट–"ब" अनुसार है। अतः प्रार्थी ने ग्राम पायला कलां में मूल खसरा संख्या 580 से विभक्त होकर बने चारों खसरों की विद्यमान विभाजक तरमीम निरस्त करते हुए नक्शा परिशिष्ट–"ब" अनुसार दुरूस्त करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन पंजियन कर जरिए नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 3 बावजूद नोटिस तालिम के अनुपस्थित रहे। विप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिनिधि एवं विप्रार्थी संख्या 1 प्रधानाध्यापक रा.उ.मा.वि. पायला कला ने इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में अवस्थित खसरा संख्या 580/1 व 580/4 की भूमि जिसके चारों तरफ चारदिवारी निर्मित करके विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है, की तरमीम कुल धारित रकबा अप्रभावित रखते हुए माफिक कब्जास्थिति दुरूस्त की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा जारी आबादी आवंटित आदेश, उसके आधार पर ना.क.स. 391 मौजा पायला कलां, उक्त भूमि की जमाबंदी, नक्शाट्रेस, विद्यालय एवं पंचायत भवन हेतु आवंटित भूमि का पारित नामांतरकरण संख्या 202, पुनः विद्यालय हेतु आवंटित भूमि का पारित नामांतरकरण संख्या 356, विद्यालय भवन की भूमि की जमाबंदी एवं नक्शाट्रेस, खनिज हेतु आरक्षित भूमि की जमाबंदी एवं नक्शाट्रेस, तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित नक्शा प्रस्तुत किया। तहसीलदार सिणधरी से विवाद की विषयवस्तु के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की गई।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी।

प्रार्थी का निवेदन है कि मूल खसरा संख्या 580 [illegible] विभक्त होकर बने खसरों की विभाजक तरमीम वास्तविक कब्जा [illegible] की भूमि दूसरे खसरे की वर्तमान तरमीम में आ रही है। अतः [illegible] में एकरूपता बनाए रखने हेतु तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न [illegible]क्शा परिशिष्ट–"ब" अनुसार दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अपनी बहस में उनके द्वारा धारित वास्तविक रकबा एवं मौका स्थिति अनुसार तरमीम दुरूस्त किए जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार सिणधरी द्वारा जरिए पत्र कमांक भू.अ./वाद/2024/3312 दिनांक 23.12.2024 प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पायला कला तहसील सिणधरी के मूल खसरा संख्या 580 एवं उससे विभक्त होकर बने खसरा संख्या 580/1, 580/4 व 580/6 की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम वास्तविक कब्जास्थिति से भिन्न है और मौका एवं तरमीम स्थिति की एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से खातेदारान की वास्तविक कब्जानुसार तरमीम दुरूस्त किए जाने से उनके धारित रकबे में किसी प्रकार की कमीबेशी नहीं होने के कारण कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पायला कलां तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 580, 580/1, 580/4 व 580/6 की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में प्रस्तावितानुसार दुरूस्त करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार सिणधरी को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा जरिए पत्र कमांक भू.अ./वाद/2024/3312 दिनांक 23.12.2024 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 02.05.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:22 IST
Reason: SelfAttested